न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 5 /2023

उनवान

मीनू देवी उर्फ मीनू शर्मा पत्नी धन्ना लाल शर्मा निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा

– प्रार्थिया

बनाम

1– मु. चांदी देवी पत्नी भंवरलाल शर्मा निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
2– जीतमल पुत्र धन्नालाल जाट निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
3– प्यारचन्द पुत्र चर्तुभुज शर्मा निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
4– लादू पुत्र माना बलाई निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
5– भोलू पुत्र कजोड़ गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
6– श्रवण पुत्र कजोड़ गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
7– बन्ना पुत्र कजोड़ गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
8– रामनाथ पुत्र कजोड़ गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
9– छगना पुत्र छोगा गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
10– भागीरथ पुत्र नन्दा गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
11– छीतर पुत्र नन्दा गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
12– नारायण पुत्र नन्दा गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
13– शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा
14– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री पन्ना लाल खारोल
अधिवक्ता प्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 29.05.2023

प्राथिया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **मिण्डोलिया पटवार हल्का मिण्डोलिया** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 996 रकबा 0.12 है0, 833 रकबा 0.08 है0, 834 रकबा 0.09 है0, 835 रकबा 0.07 है0, 836 रकबा 0.05 है0, 837 रकबा 0.27 है0** कुल किता 6 रकबा **0.68** हैक्टेयर की **प्राथिया खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। **प्राथिया** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्राथिया** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम मिण्डोलिया पटवार हल्का मिण्डोलिया संवत 2073 से 2076** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्राथिया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्राथिया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **मिण्डोलिया** में स्थित **प्राथिया** की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् **किता 6 रकबा 0.68 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्राथिया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा